फोन/Phone: 91-22-6656 4096
ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

150
Harbour of Progress & Prosperity

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration
Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Sr.Dy.Secretary/ 360 — 24th January 2025

Recruitment Notice

The Chairpersons
All Major Port Authorities

Sir/Madam,

Sub: Filling up the post of Sr. Dy. Secretary in the pay scale of Rs. 80000-220000 by absorption through Composite Method in Mumbai Port Authority – Reg.

....

1. The post of Sr. Dy. Secretary in Mumbai Port Authority will fall vacant w.e.f. 1.7.2025. The post is to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.

2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".

3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I.** The application shall be submitted through **'Online Application Portal (OAP)'** of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (website http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) from **27.1.2025** to **25.2.2025**. No application submitted other than OAP will be accepted.

4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.

5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates superscribing **"Application for the post of Sr. Dy. Secretary in Mumbai Port Authority"** on or before 12.3.2025, along with the following documents:

(.....2)

(i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2019-20 to 2023-24), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*

(ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the HoD/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished,* ***along with APARs of the preceding years;***

(iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*

(iv) *No objection certificate from the respective Port.*

(v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*

(vi) *Administrative clearance of the concerned port* ***(Annexure II)***

(vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format* ***(Annexure III).***

(viii) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent along with the application.*

6. As per the Ministry's circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **12.3.2025**. **Applications received after 12.3.2025 will not be considered.**

7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal/part forwarding will be considered.

8. The crucial date for eligibility criteria will be the date of arising of vacancy, i.e. **1.7.2025** in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

(.....3)

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HoD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,

23/01/2025

(P.N. Bahekar)
SECRETARY
MUMBAI PORT AUTHORITY

Encl: As above

Annexure I

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion absorption /deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation/	In case of promotion/ absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Senior Deputy Secretary/ Senior Personnel Officer	3	Class-I	16000 -400- 20800	Selection	42	**Essential** :- (i) A degree from recognized University. (ii) Twelve years' experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial /Govt. Undertaking. **Desirable**:- (i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management Industrial Relations Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognizer University/Institution.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which By deputation from other Govt. organizations and failing both By direct recruitment	Officers holding analogous posts or the post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD (such as CPRO/Dy. Estate Manager/Dy. Chief Law Officer/Personnel Officer) in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years' regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD with 2 years' regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in respective discipline of GAD in a Major Port Trust will be eligible.	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. ______________________________

Designation______________________________

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.

2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.

3. His/Her integrity is certified.

4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.

5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2019 to 31.3.2024) are enclosed.

6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

Annexure III
Format III

MUMBAI PORT AUTHORITY

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10 Positions held **including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity** (During the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty.(*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint **with vigilance angle** pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity".(If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone: 91-22-6656 4096
ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in
वेबसाइट/Website:www.mumbaiport.gov.in

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

Harbour of Progress & Prosperity

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-वउसचिव/ 360 24 जनवरी 2025

भर्ती सूचना

अध्यक्ष
सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा रु. 80000-220000 के वेतनमान में वरिष्ठ उप सचिव का पद को भरना-संबंधी.

------

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप सचिव का पद दि. 1.7.2025 से रिक्त होगा. यह पद **संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा** महा पत्तन प्राधिकरणों से अधिकारियों का समावेश करके भरा जाना है, जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक- I** में है.

2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग "वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. **अनुलग्नक- I** के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव के धारक सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **27.1.2025 से 25.2.2025** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (वेबसाइट http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) के **"ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)"** के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास मुं.प. प्रा. को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा.

5. प्रशासनिक पत्तनों को दिनांक **12.3.2025 को या उससे पहले** उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर **"मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप सचिव के पद के लिए आवेदन"** इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करने होंगे:

(i) पिछले 5 वर्षों की (2019-20 से 2023-24 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;

(ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" **पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ** प्रस्तुत किया जाए;

(iii) संबंधित पद एवं वेतनमान के लिए सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपीयाँ तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान तथा पिछले कार्य का अनुभव प्रमाणित करना आवश्यक है.

(iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.

(v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, तथा

(vi) संबंधित पोर्ट की प्रशासनिक अनापत्ति (**अनुलग्नक II**);

(vii) निर्धारित प्रपत्र में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए (**अनुलग्नक III**)

(viii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया हो, तो ऐसे दण्ड की ओर ले जानेवाली अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजात भी आवेदन के साथ भेजा जाए.

6. पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के परिपत्र सं. ए. 29018/4/2081/ पीई-I के अनुसार यदि उसका आवेदन पोर्ट द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर तक प्राप्त नहीं हुआ तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा. अत: महापत्तनों से अनुरोध है कि वे **12.3.2025** को या उससे पहले संलग्नकों के पूरे सेट के साथ आवेदनों को अग्रेषित करें. **12.3.2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.**

7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को सभी संगत कागजातों को एक ही समय में संलग्न करके भेजना होगा. कोई भी आधे-अधूरे/अंश भाग के अग्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा.

8 पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 की पत्र सं.ए-29018/4/2081/पीई-I के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथि **1.7.2025** होगी.

9. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, पोर्ट अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वह भविष्य में दो वर्षों के लिए सभी महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों के चयन के मामले में रोक के लिए उत्तरदायी होगा.

10. नियत तिथि के पश्चात या अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,

23/1/2025

(पवन ना. बाहेकर)

सचिव

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

संलग्न. यथोक्त.

सामान्य प्रशासन एवं मानव संसाधन विभाग

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	**वरिष्ठ उप सचिव/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी**	3	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	42 वर्ष	**अनिवार्य :** i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी ii)औद्योगिक/वाणिज्य/ सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि में कार्यकारी पदपर 12 वर्षों का अनुभव **वांछनीय :** i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज सेवा/श्रम कल्याण या उससे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर पदवी/पदविका या कानून विषय में पदवी.	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पध्दति द्वारा **विलयन से** अन्यथा अन्य सरकारी संस्थाओं से **प्रतिनियुक्ति द्वारा,** दोनों द्वारा न होने से **सीधी भर्ती द्वारा**	मिश्रित पध्दति द्वारा विलयन के लिए किसी भी महापत्तन के सामान्य प्रशासन में सादृश पदपर रहे अधिकारी या 13000-18250 रु वेतनमान में उप सचिव के पदपर रहे या किसी महापत्तन के सामान्य प्रशासन में तत्समान पद वाले (जैसे कि, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/ उप संपदा प्रबंधक/उप मुख्य विधि अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी) रहे उसी वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले अधिकारी या संबंधित सामान्य प्रशासन में उप सचिव और तत्समान पद वाले तथा उसी वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा वाले और किसी महापत्तन में संबंधित सामान्य प्रशासन में 10750-16750 तथा 13000-18250 रु इन वेतनमानों में 7 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा करनेवाले अधिकरी अर्हक हैं. प्रतिनियुक्ति के लिए सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त निकाय में सादृश पद वाले अधिकारी या सामान्य प्राशासन में 13000-18250 रु वेतनमान में उस वेतन श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा करनेवाले उपसचिव या तत्समान पद वाले अधिकारी अर्हक होंगे. योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में संपूर्ण श्रेणी करण का स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए.	

अनुलग्नक-II

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -------------------------

पद -------------------------------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2019 to 31.3.2024) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

अनुलग्नक II
फॉर्मेट-II

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हा. तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.	:	

तिथि : (विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हां, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हां तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि : **(मुख्य सतर्कता अधिकारी)**

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.